न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 55/2019
दायर दिनांक :– 05.07.2019
निर्णय दिनांक :– 22.03.2022

उनवान

01. सुगाराम पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
02. छाजूराम पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर
03. कैलाश पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
04. जगदीश पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
05. शान्ति देवी पुत्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

——वादीगण

बनाम

01. पप्पू पुत्र सूण्डा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

——प्रतिवादी

02. श्रीमान तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होलडर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

——तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः–

01. वादीगणः– श्री अनिल कुमार यादव एड0
02. प्रतिवादीगणः– प्रतिवादी संख्या 01 की एक पक्षीय व पैरोकार सरकार

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

निर्णय

आज यह पत्रावली मेरे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, 1411 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, 1417 रकबा 0.4200 हैक्टेयर वाके मौजा श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित है। जिसमे दावा हाजा में समस्त जिम्मनों में विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित की गयी है। नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल पेश है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.2400 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 1075 रकबा 19 बिस्वा, 1411 रकबा 0.6600 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 1076 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, 1417 रकबा 0.4200 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 1082 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा श्यामपुरा तहसील बानसूर से दौराने सम्वत 2060 से बनाये गये है। जो मिलान क्षेत्रफल पेश है। वादीगण की माता पारा देवी पत्नि सरदारा ने विवादित आराजी के खातेदार बीरबल, पाला, पप्पू पुत्रान भौला, रामकली बेवा भौला जाति गुर्जर निवासी कासूकी ढाणी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर से जरिये बैयनामा संख्या 1824 दिनांक 04.06.2007 से खरीद की गई थी वादीया वक्त खरीद के समय से मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही थी तथा पारा देवी की मृत्यु के उपरान्त वादीगण विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जमाबन्दी सम्वत 2029 के खाता संख्या 183 में दर्ज साबिक खसरा नम्बर 1075 रकबा 19 बिस्वा, 1076 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, 1082 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा श्यामपुरा के खातेदार विक्रेतागण बीरबल, पाला, पप्पू पुत्रान भौला, रामकली बेवा भौला के पिता/पति भौल्या वल्द भूरा गुर्जर सा0 देह खातेदार काश्त थें लेकिन सम्वत 2033 की जमाबन्दी बनाते समय तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों को मात्र पिछली जमाबन्दी की पुनरावृति करनी चाहिये थी लेकिन उन्होने बिना किसी आदेश के सम्वत 2033 के खाता संख्या 183 में दर्ज साबिक खसरा नम्बर 1075, 1076, 1082 में प्रतिवादीगण के बुर्जुग सूण्डा को 1/2 भाग रबी 2031 बकाश्त दर्ज कर दिया उक्त गलत इन्द्राजात की पुनरावृति बाद की समस्त जमाबन्दीयों में आज दिन तक चली आ रही है जिसके कायम रहने से वादीगण के खातेदार अधिकारों का हनन हो रहा है ऐसी सूरत में प्रतिवादी के बुर्जुग का नाम विवादित आराजी से कलम जन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जो वाद पेश करना लाजिम आया है। विवादित आराजी के किसी भाग से प्रतिवादीगण असल व उनके बुर्जुग सूण्डा पुत्र भूरा का कभी भी किसी तरह का कोई ताल्लूक व वास्ता नहीं रहा तथा नहीं आज दिन है वादीगण विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज दिन भी वादीगण मुताबिक जमाबन्दी सम्पूर्ण भाग पर मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। जमाबन्दी सम्वत 2033 व उसके बाद की जमाबन्दीयों में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत के बुर्जुग के नाम विवादित खसरा नम्बर 1410 रकबा 0. 2400 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 1075 रकबा 19 बिस्वा, 1411 रकबा 0.6600 हैक्टेयर के साबिक

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

खसरा नम्बर 1076 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, 1417 रकबा 0.4200 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 1082 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा श्यामपुरा में बकाश्त दर्ज खिलाफ कब्जा मौका, खिलाफ कानून, खिलाफ रिकार्ड व बिला हक एवं अधिकार का होने के कारण वादीगण के हकूको के प्रति बातिल व बेअसर है जमाबन्दी सम्वत 2029 से स्पष्ट है तथा काबिले दुरूस्ती बहक वादीया है। वादीगण की माताजी का स्वर्गवास दिनांक 07.06.2019 को हो जाने के उपरान्त वादीगण ने अपनी माताजी का विरासत इन्तकाल खुलवाने के लिये हल्का पटवारी के पास गये तो पता चला की उपरोक्त आराजी में सूण्डा पुत्र भूरा 1/2 भाग पर बकाश्त दर्ज है। तो वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से दिनांक 25.06.2019 को उसके घर जाकर मिले तो उसने उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कराने के लिये मना कर दिया तथा धमकी दी कि उपरोक्त आराजी पर मै कब्जा लेकर रहूँगा राजस्व रिकार्ड में तो मेरा कब्जा काश्त 1/2 भाग पर दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत के बुर्जुग सूण्डा का देहान्त हो चुका है और सूण्डा के जायज वारीसान को प्रतिवादीगण के कोलम में बतोर आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 01 बनाया गया है। उपरोक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के बुर्जुग सूण्डा पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 भाग पर दर्ज बकाश्त को कलमजन किया जाकर मुताबिक आदेश कागजात माल अमल करवाया जावें। दावा अन्दर मियाद है।

वाद पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पैरोकार सरकार द्वारा जबाब पेश नहीं किया गया जिसका जबाब बन्द किया गया।

वादीगणों ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रर्दश 01 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 175, प्रदर्श 02 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060, प्रदर्श 03 नकल जमाबन्दी सम्वत 2029, प्रदर्श 04 नकल जमाबन्दी सम्वत 2033, प्रदर्श 05 नकल जमाबन्दी सम्वत 2037 प्रदर्श 06 नकल जमाबन्दी सम्वत 2042, प्रदर्श 07 नकल बैयनामा दिनांक 04.06.2007, प्रदर्श 08 नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2060 पेश किये है तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यु 01 सुगाराम का शपथ पत्र पेश किये।

बहस वकुलाय सुनी गई।

हमने पत्रावली का व वादीगणों द्वारा वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा शपथ पत्र का गहनता से अवलोकन एंव अध्ययन किया। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में पेश किये दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र से यह साबित होता है कि वादिगणों के नाम के आगे ((((रबी 2031 सूण्डा पुत्र भूरा गुजर1/2 बाकि बदस्तूर 1/2)))) अंकित है। वादीगण उपरोक्त आराजी के जरिये बैयनामा

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

खरीद सुद्वा मालिक है। जबकि बकाश्त का अंकन किस हैसियत से किया हुआ है उसका कोई आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अतः उक्त विवेचनानुसार वादीगणों का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगणों का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, 1411 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, 1417 रकबा 0.4200 हैक्टेयर वाके मौजा श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान में दर्ज ((((रबी 2031 सूण्डा पुत्र भूरा गुजर1/2 बाकि बदस्तूर 1/2)))) का अंकन कलमजन किया जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रहें। आदेश की पालना में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

यह निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
बानसूर अलवर

न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री रेखा गुर्जर (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 55 / 2019

दायर दिनांक :— 05.07.2019

निर्णय दिनांक :— 22.03.2022

उनवान

01. सुगाराम पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
02. छाजूराम पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
03. कैलाश पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर
04. जगदीश पुत्र सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
05. शान्ति देवी पुत्री सरदारा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

—वादीगण

बनाम

01. पप्पू पुत्र सूण्डा जाति गुर्जर निवासी ढाणी कासूकी तन श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—प्रतिवादी

02. श्रीमान तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होलडर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

—तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागणः—

01. वादीगणः— श्री अनिल कुमार यादव एड0
02. प्रतिवादीगणः— प्रतिवादी संख्या 01 की एक पक्षीय व पैरोकार सरकार

सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

पर्चा डिक्री

अतः वादीगणों का वाद आंशिक स्वीकार कर डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, 1411 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, 1417 रकबा 0.4200 हैक्टेयर वाके मौजा श्यामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान में दर्ज ((((रबी 2031 सूण्डा पुत्र भूरा गुजर1/2 बाकि बदस्तूर 1/2)))) का अंकन कलमजन किया जावें। शेष इन्द्राजात यथावत रहें।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
बानसूर (अलवर)